अध्याय :1

प्रस्तावना

बाल उत्पीड़न का अर्थ अलग-अलग परिवेश और सामाजिक स्थितियों में अलग-अलग हो सकता हैं, जीवन की बढ़ती हुई जटिलताओं और भारत में सामाजिक आर्थिक बदलावों नें भी बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा के नए रूपों और जोखिमों को बच्चों के प्रति बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई हैं।

बाल उत्पीड़न हमारे समाज के लिए एक कलंक एवं विनाशकारी प्रभाव देने वाली घटना के रुप में सामने आती हैं। यह समस्या कोई नई समस्या नहीं हैं लेकिन कभी भी यह विचार का विषय नहीं रहा हैं पर बदलते समय के साथ-साथ इस समस्या की ओर भी लोगों का ध्यान आया हैं।

डब्लू.एच.ओ के अनुसार- *यौन शोषण एक बच्चे के साथ अनुचित यौन व्यवहार हैं, बच्चे के साथ संभोग, बलात्कार, गुप्तांगों को अनुचित रूप से छूना इत्यादि बाल उत्पीड़न माना जाता हैं।*

बाल यौन शोषण का विषय भारत में गंभीर समस्या के रूप में हैं। भारतीय जनसंख्या का 42% लगभग बच्चों का ही हैं। आज के समय में कई सारे ऐसे स्थान है, जहाँ बच्चें असुरक्षित हैं,ऐसे कई खतरे हैं, जिनके साये में वे रहते हैं चाहे वह स्कूल हो उनके रोजगार की जगह हो या उनका खुद का घर ही क्यों ना हो, यह अविश्वसनीय हैं पर हर साल हजारो बच्चें अपराध का शिकार बनते हैं चाहे वह अपहरण हो,हिंसात्मक हमला हो या यौन उत्पीड़न। बाल यौन उत्पीड़न आमतौर पर जन्म के बाद से 14,साल तक के बच्चों के साथ किए जाने वाले यौन दुर्व्यवहार से लिया जाता हैं बाल उत्पीड़न के अन्य प्रकारो में यौन उत्पीड़न सबसे

अधिक भयावह तथा क्रूर हिंसाओं में हैं जो कि लड़को की अपेक्षा लड़कियों को ज्यादा नुकसान पहुँचाता हैं।

यौन उत्पीड़न के प्रकार-

- बिना सहमति के किसी के साथ कामुकतापूर्ण व्यवहार करना(बलात्कार या यौनात्मक उत्पीड़न)
- अवांछनीय रूप से किसी को छूना चाहे वह बच्चा हो या कोई बालिग व्यक्ति।
- किसी बच्चे को जबरदस्ती अश्लील चित्र दिखाने की कोशिश करना।
- बच्चों के सामने कामुकतापूर्ण व अभद्र भाषा का प्रयोग करना भी बाल उत्पीड़न के अंतर्गत आता हैं।

Finkelher,Hotaling,Lewis and Smith(1990) -द्वारा किये गये अध्ययन में यह पाया गया कि 27% अमरीकन महिलायें और 16% पुरूष अपने बचपन में यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुके होते हैं जबकि उनकी उम्र मात्र 9-10 साल की रही होगी। शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का खतरा लड़कों की तुलना में लड़कियों को ज्यादा होता हैं।

बाल यौन उत्पीड़न के केवल एक तिहाई मामले ही कानूनी बाध्यता के अन्दर दर्ज किये जाते हैं। FBI'sNational incident basedreporting system की रिपोर्ट के अनुसार 1991-2000 तक 21 राज्यों में अध्ययन से पता चला कि 34 प्रतिशत बच्चें यौन अपराध के शिकार होते हैं। जब वह 12 साल से कम उम्र के होते हैं और 6 साल से कम उम्र के 14 प्रतिशत बच्चें यौन अपराधों का शिकार होते हैं।

भारत के संदर्भ में 2007 में किये गये बाल यौन अपराध के अध्ययन के अर्न्तगत 13 राज्यों के बच्चों से साक्षात्कार किये गये। जिसमें कि यह बात भी सामने आयी कि आसाम

के अन्दर यौन उत्पीड़न की घटनायें सबसे ज्यादा होती हैं जिनमें लड़के - लड़कियाँ दोनो शामिल हैं।

पिछलें कुछ वर्षों में बच्चों के शारीरिक उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ हैं। भारत में हर दस बच्चों में एक शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होता कई सारे बाल उत्पीड़न के मामले तो दर्ज ही नहीं कराये जाते । यौन हिंसा को समाज के अन्दर एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में देखा जाता हैं लोग आज भी सेक्स के संबध में खुलकर बात नहीं करना चाहते। रूढ़िवादी परिवार और समुदाय की संरचना के अन्तर्गत माता-पिता शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में बच्चों से बात नहीं करते इसका दुष्परिणाम यह होता हैं, कि बच्चों के साथ किसी प्रकार के शोषण की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती क्योंकि बच्चों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि उनके साथ होने वाला व्यवहार गलत हैं।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि नाबालिगों को हमेशा कामुकतापूर्ण रूप में देखने के पीछे एक कारण यह भी हैं कि उन्हें आसानी से शिकार बनाया जा सकता हैं। बलात्कार अपने आपमें एक अमानवीय घटना हैं लेकिन बच्चों के साथ होने पर तो यह अति क्रूर और हिंसापूर्ण हो जाती हैं जिसके कारण बच्चें पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हैं आमतौर पर बाल यौन र्दुव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता हैं जिसे कि बच्चा जानता होता हैं ये कोई भी हो सकता हैं जैसे परिवार का सदस्य, भरोसेमंद दोस्त,ऐसे इंसान जिससे बच्चें का रोजाना का संपर्क हो या कोई भी अन्य रिश्तेदार।

यौन उत्पीड़न कई बार अचानक से नहीं घटने वाली घटना होती हैं यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं , बिना किसी नुकसान को पहुचाएं बच्चों को गलत ढ़ंग से स्पर्श करना जिसके कारण कई बार वह यह अनुभव नहीं कर पाते कि इन सब स्पर्शों का कोई गलत प्रभाव हैं शारीरिक बल इसलिए भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ता आमतौर पर बच्चें उस अपराधी के ऊपर निर्भर होते हैं उसे जानते होते हैं। इसी कारण बच्चियों से

बलात्कार में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण यह भी हैं कि युवा लड़कियां बच्चियों की अपेक्षा अधिक विरोध कर सकती हैं चीख सकती हैं और शिकायत कर सकती हैं, बलात्कारी यह सोचता हैं कि बच्चियाँ क्या कर लेंगी विशेषकर जब बलात्कार घर में पिता, भाई, चाचा या अन्य रिश्तेदारों द्वारा किया गया हो।

लड़कियाँ सबंधों की किसी भी छत के नीचे पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं और इस बढ़ती असुरक्षा के आतंक से भयभीत लड़कियों का सामान्य स्वस्थ मानसिक विकास कैसे हो सकता हैं। कभी हमारे समाज में बेटियों को बलात्कार के भय से मुक्ति मिल पायेगी।

ऐसे बच्चें जोकि यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं भावनात्मक रूप से कई प्रकार से प्रभावित होते हैं यह प्रभाव कई प्रकार से दिखाई पड़ता हैं जिनमें डर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दुःख, ग्लानि, शर्म, किसी पर भरोसा ना करना, व्यवहारिक समस्यायें, तनाव कि स्थिति दुबारा यौन हिंसा का शिकार होने का खतरा बना रहता हैं, यह कितने दुःख की बात हैं कि किसी के द्वारा किये गये क्षण भर की हिंसा का बच्चें के जीवन के सभी पहलूओं पर कितना गहरा असर पड़ता हैं कि उनका सारा जीवन ही प्रभावित हो जाता हैं।

आज के समय में यौन उत्पीड़न व बलात्कार की घटनायें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं इसके साथ ही बाल यौन शोषण की घटनायें भी लगातार हमारे सामने आती रहती हैं पर आज भी बलात्कार या यौन शोषण की घटना पर लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें पारिवारिक मान सम्मान सामाजिक स्थिति तथा न्याय न मिलने,जैसे कारण होते हैं बाल यौन शोषण के पीछें के कारणो को जाननें व इसको रोकने के उपायों को दृष्टिगत रखते हुए यह विषय चुना गया।

1.1 शोध का परिचय

वर्तमान समय में यौन उत्पीड़न व बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसके साथ ही बाल यौन उत्पीड़न की घटनायें भी लगातार हमारे सामने आती रहती हैं, पर आज भी आधुनिकता के इस दौर में आकर लोग यौन शोषण जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं करना चाहते इसके पीछे कई कारण होते है। बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित कारणो को जाननें व इसके समाधान प्रस्तुत करने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए यह शोध विषय 'बाल यौन अपराध यनक अध्यषात्मएक विश्ले :' चुना गया है, जिसके अंतर्गत प्रथम अध्यय में प्रस्तावना, द्वितीय अध्याय में बाल यौन अपराध का अर्थ एवं सौद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है, तृतीय अध्याय में बाल यौन हिंसा के विरूद्ध अधिनियम 2012, का विवरण प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ अध्याय में सिमटता बचपनगिनती और लोगों की जुबानी के : षण किया गया है का संकलन व विश्लेम से तथ्योंवली के माध्यअंतर्गत प्रश्ना। पांचवे अध्याय के अंतर्गत इन सभी अध्यायों के आधार पर विश्लेषण किय गया है।

1 .2 शोध का उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य बच्चों के साथ होनें वाली यौन हिंसा के करणों एवं उसके द्वारा उनकी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है। इसके साथ ही इसकी रोकथाम हेतु उचित कानूनों व नियमों का अध्ययन करना। प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य इस प्रकार है -

- बाल यौन अपराध का संदर्भ ग्रन्थों के आधार पर सैद्धान्तिक अध्ययन।
- बाल यौन हिंसा के कारणों का अध्ययन षणविश्ले/।
- हिंसा के द्वारा बच्चों पर होने वाले शारीरिक, मानसिक, व भावनात्मक प्रभाव का अध्ययन।
- बाल यौन अपराध को रोकने के कानूनी एवं सामाजिक समाधान का अध्ययन।

1.2. शोध प्रश्न / व्यशोध वक्त 1

को दृष्टिगत रखते हुए तथा शोध कार्य पूरा करने के लिये इस शोध विषय के उद्देश्य - हैव्यलिखित शोध वक्तनिम्न

- यौन शोषण का शिकार अधिकतर छोटी बच्चियां होती है।
- इस तरह के अपराधों के पीछे पितृसत्तात्मक सोच कार्य करती है।
- बच्चियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की अधिकतम घटनाओं में पारिवारिक सदस्य व परिचित लोग शामिल होते हैं।
- यौन शोषण का बच्चियों के शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ, पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता हैं।

1.3 शोध की प्रवृत्ति

प्रस्तुत शोध की प्रवृत्ति विश्लेषणात्मक एवं विवराणात्मक है जिसके अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न या शोषण कों नये दृष्टिकोण से देखने तथा उसके कारणों की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है साथ ही विभिन्न रूपों में इस हिंसा का तथा इसके रोकथाम के उपायों का भी अध्ययन किया गया है।

1.3.1 शोध की सीमा

प्रस्तुत शोध की सीमा यह है कि चूंकि बाल यौन हिंसा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिसके सम्बन्ध में लोग आसानी से बात नहीं करते, इसके पीछे कई प्रकार से असुरक्षा की भावना कार्य करती है अतत शोध के अंतर्गत किसी प्रस्तु इस कारण : नहीं किया जा सकाभी प्रकार का प्राथमिक आंकड़ा प्राप्त। इस शोध के अंतर्गत तथ्यों व आंकड़ों का विश्लेषण द्वितीय स्त्रोत के आधार पर किया गया है यही प्रस्तुत शोध की सीमा है ।

1.3.2

– शोध की नैतिकता

किसी भी शोध कार्य के अंतर्गत नैतिकता का होना बहुत ही आवश्यक है,प्रस्तुत शोध के अंतर्गत जिन घटनाओं का अध्ययन किया गया तथा जिन विशषज्ञों व अन्य लोगों की सहायता प्राप्त की गयी उनकी गोपनीयता व पहचान को सीमित रखना ही प्रस्तुत शोध की नैतिकता है।

1.4 शोध की प्रासंगिकता –

प्रस्तुत शोध बाल यौन अपराध की समस्या पर नारीवादी दृष्टिकोण से किया जाने वाला शोध है इसके अंतर्गत अपराधों के पीछे की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति व कारणों को सम्मिलित करने प्रयास किया गया है। इसके साथ ही यौन शोषण की समस्या के संबंध में हिंन्दी में ज्यादा सामग्री उपलब्ध न होने के कारण यह उन सभी शोधार्थियों छात्रों एवं उन लोगो के लिए जोकि बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा के तमाम सौद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षों को जानना और समझना चाहते है उन सभी के लिये उपयोगी होगा। इन्हीं सब बातों और तथ्यों से इस शोध विषय के चुनाव की प्रासंगिकता सिद्ध होती हैं।

1.5 राष्ट्रीय प्रासंगिकता

बाल यौन शोषण की समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या है इसके साथ ही प्रस्तुत शोध संभवतः नारीवादी दृष्टिकोण से किया जाने वाला पहला शोध है जिसके अंतर्गत नारीवादी नजरिये से यौन हिंसा को देखने का प्रयास किया गया है। इन सभी बातों से इस शोध की राष्ट्रीय प्रासंगिकता सिद्ध होती है।

1.6 अंतरविषयक प्रासंगिकता

प्रस्तुत शोध विषय बाल यौन अपराध का सम्बन्ध सिर्फ स्त्री अध्ययन विषय से ही नहीं अपितु समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों से भी है जैसे , समाजशास्त्र – चूंकि यह शोध विषय

एक सामाजिक समस्या के रूप में भी उद्घाटित होता है इस कारण समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा सकता है साथ ही अपराधशास्त्र व मानवधिकार जैसे विषयों के सम्बंध में भी इस शोध विषय की उपयोगिता परिलक्षित होती है चाहें वह यौन शोषण को बढ़ते अपराध के नजरिये से देखना हो या बच्चों के मानवधिकार के हनन के रूप में। इसके अलावा जनसंचार विषय के माध्यम से भी प्रस्तुत शोध विषय की महत्ता को देखा जा सकता है इसके द्वारा मीडिया इन सभी विषयों व मुद्दों पर जिस प्रकार कार्य करता है इसे भी समझने का प्रयास किया गया है, इन सभी विषयों से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध होने के कारण प्रस्तुत शोध की अंतरविषयक प्रासंगिकता स्पष्ट होती है।

1.7 शोध प्रविधि

किसी भी शोध कार्य की रूपरेखा को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने हेतु शोध प्रविधि की आवश्यकता होती है। शोध प्रविधि के माध्यम से ही किसी भी शोध कार्य की रूपरेखा निर्धारित की जाती है जिसके द्वारा किसी भी शोध से संबन्धित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, प्रस्तुत शोध कार्य को पूरा करने हेतु नारीवादी शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है जिसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन व विश्लेषण गुणात्मक शोध प्रविधि के आधार पर किया गया है।

1.8 तथ्य संकलन / प्राथमिक आंकड़ा संग्रह

प्रस्तत शोध के अंतर्गत प्राथमिक आंकड़ा एवं तथ्य संकलन हेतु प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की गयी साथ ही विशेषज्ञों से साक्षात्कार व बातचीत के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहलूओं के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की गयी।

1. 9 संकलनतथ्य / द्वितीयक आंकड़ा संग्रह

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़ा संग्रह एवं तथ्य संकलन हेतु शोध विषय से संबन्धित पुस्तकों, पत्रपत्रिकाओं-, विभिन्न सरकरी व गैर सरकारी रिपोर्टों का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही विषय से सम्बन्धित विभिन्न फिल्मों व इंटरनेट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की गयी।

1.10 तथ्यों/ आंकड़ों का विश्लेषण

इस शोध विषय के अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोत से प्राप्त तथ्यों व आंकड़ो का विश्लेषण, शोध की विश्लेषणात्मक प्रविधि के अनुसार किया गया है।

1. 11 साहित्य पुनरावलोकन

नसरीन तसलीमा -1, मेरे बचपन के दिन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008

प्रस्तुत पुस्तक के अंतर्गत तसलीमा नसरीन ने अपने जीवन में घटित उन घटनाओं की स्मृतियों को प्रस्तुत किया है जो कि उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न की पीड़ा को व्यक्त करता है इस पुस्तक के माध्यम से वें पाँच वर्ष की उम्र में अपने साथ शराफ मामा द्वारा किये गये घृणित कार्य के बारे में बताती है कि कैसे मां के घर पर ना होने के कारण वे अपने घर की सीढ़ियों पर उदास बैठी थी तभी उनके मामा उन्हें बिलैया दिखाने के बहाने घर के पीछे बनी एक अंधेरी कोठरी में ले गये और वह चूंकि उन पर बहुत विश्वास करती थी इसलिये उनके पीछेपीछे चली जा रहीं थी-, पर उन्हें इस बात का भान भी न था, कि मामा अचानक से उनके साथ इस तरह से शारीरिक सम्बंध बनाने का प्रयास करेंगे और बहुत कोशिशो के बाद भी वह उन्हें रोक नहीं पाई यही नहीं इस घटना के विषय में वे किसी से कुछ कह भी नहीं पाई क्योंकि उनके मामा ने उन्हें डरा कर रखा था। वे यह बात भी लिखती है कि इस घटना के बाद उन्हें अपने मामा के घर जाने में डर लगता था उनका मन हरदम अपनी मां के साथ रहने को करता है उनका यह मानना था कि जब तक वह मां के साथ रहेगीं शराफ मामा उनका कुछ

नहीं कर पायेंगे। यहां पर यह बात सोचने योग्य है कि पाँच वर्ष की उम्र में जो बच्चे सिर्फ खेलने और शरारत करने के बारे में सोचते है वहीं एक छोटी बच्ची के अंदर इतना डर समा जाता है कि वह घर से बाहर जाने मे भी डरने लगती है यहीं नहीं तसलीमा के साथ यह घटना एक बार नहीं घटी बल्कि उनके दर्द को बढ़ा दिया गया। जब वर्ष की उम्र में उनके चाचा ने 7 भी उनके साथ यौनिक शोषण किया। वह लिखती है कि कैसे वह इस सारी घटना को समझ नहीं पा रही थी, मामा और चाचा को उनके साथ ऐसा करने के पीछे क्या कारण था इस बात को वे समझ ही नही पर रही थी।

साथ ही वह इस घटना के बारे में किसी को भी बताने में असमर्थ थी क्योंकि उन्हें यह डर था कि लोग उनके मामा व चाचा को बुरा कहेंगे। साथ ही परिवार की इज्ज़त व मान मर्यादा की भी उन्हें चिन्ता थी कि सभी उनके माता कहेगेंपिता व परिवार के बारे में क्या-। इस पुस्तक के माध्यम से यह बात भी सामने आई कि कई बार शोषणकर्ता इतना करीबी संम्बधी व्यक्ति होता है कि परिवार के अंदर प्रतिष्ठा को जानते हुए कई बार तसलीमा की ही तरह जाने कितनी लड़कियां अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को कहने में असमर्थ हो जाती है या यूँ कहें असमर्थ कर दी जाती है।

मकांबले उत्त -2, अनुवाद दिवसे किशोर –, देवदासी, संवाद प्रकाशन, मुंबई: मेरठ , 2008

प्रस्तुत पुस्तक के अंतर्गत लेखक ने प्राचीन समय में प्रचलित देवदासी की प्रथा का विस्तार रूप से वर्णन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार देवदासी का सीधा अभिप्राय है 'सर्वेण्ट ऑफ गॉड' यानी देवी की दासी या पत्नी, प्राचीन काल में देव ओं केदेवियों से कन्या- लित रही। भारतीय समाज में आज भी ऐसी कई कुप्रथाये है जिसकी विवाह की कुप्रथा प्रच जड़े अभी भी फैली हुई है देवदासी की प्रथा ऐसी अमानवीय व क्रूर कुप्रथा है जिसका शिकार क वर्षदलित परिवारों की महिलायें युवतियां प्रत्येहजारो की संख्या में होती है देवदासी

कुप्रथा कर्नाटक या महाराष्ट्र में ही सीमित नहीं वरन् उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मद्रास व गोवा जैसे प्रदेशों में भी व्याप्त है।

देवदासी प्रथा के अंतर्गत देवीदेवताओं की पूजा का कार्य मंदिर के पुजा-री करते थे और उनकी गैर हाजिरी में देवदासियाँ। पुरुषों को सदैव से ही समाज में स्त्री की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है देवदासी की प्रथा भी इसी दोयम दर्जे के व्यवहार का शिकार बनीं। देवदासी यानी देवताओं की दासी, परन्तु व्यवहार में वह सिर्फ पुरुषों की ही दासी बनी रही मध्ययुग के दौरान देवदासी प्रथा अत्यधिक परवान चढ़ी सन् 1351, में भारत भ्रमण पर पहुँचें अरब के दो मुस्लिम यायावरो ने इस देश की वेश्याओं को ही 'देवदासी' संबोधित किया। इस प्रथा के विषय में अनेकानेक बाते कहीं जाती है, लेकिन मूलत इस कुप्रथा की जड़े धर्म तथा अंधश्रद्धा में धसी हुई थी।

3. "जैन अरविंद, औरत होने की सजा,राजकमल प्रकाशननई दिल्ली",2006

अरविंद जैन द्वारा लिखित पुस्तक के'बचपन से बलात्कार' लेख के अंदर अरविंद जैन ने कई कानूनी मामलों को रखते हुए अपनी बात प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत उन्होनें बताया है कि पिछले कई सालों से छोटी उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलें लगातार बढ़ते जा रहे है। जो कि बहुत ही चिंताजनक प्रश्न है। समाचारपत्रों में आये दिन होने वाली घटनाओं से समाज में बढ़ती जा रही मानसिक विषमता के रूप देखने को मिलते है। कई मुकद्दमों के द्वारा उन्होंने अपनी बात को पुष्ट किया हैं। इसमें एक मुक़द्दमे में साल की 13 लड़की के साथ बलात्कार की घटना को वें बताते हैं जिसमें लड़की का परीक्षण करने वाले डॉक्टर को गवाही के लिए नहीं बुलाया गया। लड़की के कपड़े व अन्य चीजें कब्जे में नहीं ली गयी। अभियुक्त के कपड़ो पर वीर्य के निशान नहीं मिले इसलिए "अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती।"[1978,चांद लॉ रिपोर्टर,दिल्ली इसके साथ ही अन्य मुकद्दमों जिसमें [ ] इमरतलाल के मामले1987,क्रिमिनल लॉ जनरल-557मध्य प्रदेश में [*अदालत नें कहा,*

जब बलात्कार का अपराध सिद्ध हो जाए और वह भी छोटी उम्र कि बच्ची के साथ " तो ऐसे केस में सजा सख्ती से दी जानी चाहिए। अपराधी को सिर्फ तीन साल कैद की सजा देने का अर्थ उसे 'पिकनिक।''पर भेजने जैसा है" जैसा कि निचली अदालत ने इस केस में किया है। लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने सजा को चुनौती नहीं दी है इसलिए सजा बढ़ाई नहीं जा सकती।

इन सभी बातों के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो जाती हैं कि हमारे समाज के अंदर बलात्कार जैसे घृणास्पद अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को सजा देने के मामले में हमारे कानून में कड़े नियम नहीं लागू किए गए हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारतीय अदालतों में पिता, भाई, चाचा, ताऊ, नाना, दादा, शिक्षक, पड़ोसी, व अन्य लोगों द्वारा नाबालिक बच्चियों से बलात्कार के मामलें सामने आते हैं। लड़कियों का अपना ही घर जब उनके लिए हिंसा और वधस्थल बनता जा रहा हैं। ऐसे में बच्चों के साथ यौंन अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए सख्त कानूनों के बनाए जाने कि आवश्यकता हैं।

4. *VIRANI PINKI, Bitter chocolate , by panguin Books,India 2013*

भारत के अंतर्गत बाल यौन हिंसा के विविध आयामोंको परिभाषित किया है इसके अंतर्गत उन्होंने बच्चों के साथ घरों में होने वाली हिंसा को विस्तार से बताने का प्रयास किया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घर बच्चों के लिये सुरक्षित स्थान है बल्कि यौन शोषन की ज्यादातर घटनायें तो घर के अंदर ही होती है और लोग बड़ी ही आसानी से इन घटनाओं को छुपा ले जाते है एक घटना का उदाहरण देते हुये वे कहती है कि एक चार साल की बच्ची के साथ उसके पिता ने यौनिक दुर्व्यवहार किया परन्तु उस लड़की की मां अपने पति के विरोध में कोई भी कदम उठाने से झिझक रही थीं क्योंकि वे लोग एक सभ्य परिवार से सम्बन्धित थे और यह बात परिवार की मान मर्यादा को नष्ट कर देती। इस सम्बंध में अपने विचार व्यक्त

करते हुए किरण बेदी कहती है कि 56, प्रतिशत बाल हिंसा के अंतर्गत बच्चें घर के सदस्यों द्वारा ही प्रताड़ित किये जाते है। बल्कि साथ ही वीरानी यह भी बताती है कि बच्चों के साथ होने वाली यौनिक हिंसा के अंदर जरूरी नहीं कि योनि और लिंग के बीच ही सम्बंध स्थापित हो अपराधी कई बार किसी अन्य वस्तु को भी बच्चें के जननांगो में प्रवेश कराकर उनके साथ यौनात्मक उत्पीड़न करते है जो कि उतने ही वीभत्स रूप में प्रभाव डालता है, जितना कि शारीरिक स्पर्श से संबन्धित शोषण का प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही बाल वेश्यावृत्ति व देहव्यापार की समस्या पर भी इस पुस्तक के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया है हमारे देश के अंतर्गत नाबालिक बच्चों की तस्करी व देह व्यापार का कारोबार बहुत ही बड़े स्तर पर फैला हुआ है। साथ ही कानूनी व्यवस्था को भी वे अपनी पुस्तक के माध्यम से सुधार करने की दृष्टि से देखती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक बाल यौन हिंसा की गम्भीर समस्या को समझने तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन करने हेतु बहुत ही महत्त्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उद्घाटित होती है।

5. Prof.Vashistha Sarita,Crime Against Children,K.K. Publications,new delhi.2012

सरिता वशिष्ठ, के द्वारा इस पुस्तक के अंतर्गत बाल शोषण और अपराधों को विभिन्न प्रकार से विभाजित कर परिभाषित किया गया हैं। इसके अंतर्गत यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती हैं कि हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग लगभग 42% बच्चों का ही हैं। आज के समय में ऐसी कोई जगह नहीं हैं जिसे हम उनके लिए सुरक्षित कह सके, एक स्वयं सेवी संस्था शक्ति वाहिनी,के द्वारा जिलों मे किए गए शोध में 593 शहरों के अंदर 378 में भारत के 2006 यह नतीजें सामने आये कि मानव तस्करी के कारोबार में सबसे ज्यादा बच्चें ही है जो कि प्रभावित होते है क्योंकि उनको बहुत ही आसानी से काम दिलाने के बहाने गांवो से लाकर लोग उनकी तस्करी करते है और उनको गलत काम करने के लिए बाध्य करते हैं।

यौन हिंसा को परिभाषित करते हुए यह बात सामने आती है कि यौन हिंसा के अंतर्गत छेड़छाड़ या शारीरिक रूप से किसी के साथ दुर्व्यवहार को शामिल किया जाता हैं।किसी के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करना या शारीरिक संबंध बनाने के किए ज़बरदस्ती करना, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता हैं।

- जबरन किसी के साथ यौंन दुर्व्यवहार करना बलात्कार और यौंन उत्पीड़न कहलाता] .[हैं
- इच्छा के विरूद्ध किसी को छूना चाहें वह कोई वयस्क व्यक्ति हो या बच्चा .
- किसी बच्चें को अश्लील फिल्में या चित्र दिखानें की कोशिश करना।
- अश्लील भाषा का प्रयोग करना भी बाल शोषण के अंदर आता हैं।

समक्ष आज प्रस्तुत बाल यौंन उत्पीड़न एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में हमारे हो रही है। इसका बच्चें के शारीरिक,मानसिक,भावनात्मक विकास पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता हैं। सबसे ज्यादा गंभीर समस्या तो तब होती हैं। जब यौंन उत्पीड़न किसी पारिवारिक सदस्य के द्वारा किया जाता हैं। इस तरह की घटनाओ के नतीजे और भी भयावह होते हैं ।क्योंकि कई कारणों से लोग उसका विरोध नहीं कर पाते और बच्चें उसी माहौल में रहते हुए मानसिक रूप से तनाव, कुंठा, चिढ़चिढ़ापन इन सभी प्रभावों से ग्रसित हो जाते हैं।

इन सभी पहलुओं और प्रभावों को ध्यान में रखकर ही बाल यौन उत्पीड़न की समस्या का सही तरह से आंकलन किया जा सकता हैं।

6. SluggetCath,Reviewed and edited by-Frederik john Mapping of psychosocial support for Girls and Boys,

Affected by,Child Sexual Abuse-in four countries in south and central asia ,[AFGHANISTAN,BANGLADESH,NEPAL,AND PAKISTAN]

अफगानिस्तान जोकि पिछले दो दशकों से लड़ाई का स्थल रहा हैं। इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक, और राजनैतिक जीवन पर भी इसका बहुत ही प्रभाव रहा हैं। लोगों के रोज़मर्रा के जीवन खासतौर पर उन लोगो के जो की अपने घर और परिवार से दूर हैं। आज के समय में निर्धनता, भुखमरी, संसाधनो की कमी यह सब आम समस्याए हैं सबसे ज्यादा खराब रूप से इसका प्रभाव लड़कें लड़कियों पर पड़ता हैं –। इस देश में यौनिकता एक बहुत ही बड़ा निषिद्ध विषय हैं। बाल यौंन उत्पीड़न के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता हैं।

स्त्री तथा पुरुष के बीच जेंडर भिन्नता जोकि अफगानिस्तान में युद्ध के पहले से चली आ रही हैं आज भी उसी रूप में बनी हुई हैं। इससे यह बात भी सामने आयी कि यौंनिकता के विषय में चुप्पी का कारण जागरूकता की कमी कों भी कहा जा सकता हैं। अफगानिस्तान के अंदर परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा उन लड़कियों को मारने का प्रयास किया जाता हैं। जो कि यौंन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। कई रिपोर्ट के द्वारा यह पाया गया कि लड़कों के साथ यौंन शोषण की घटना और लड़कियों के साथ यौंन उत्पीड़न की घटनाओं को अलग-अलग रूप में देखा जाता हैं। यह केवल इसलिए क्योंकि कौमार्यता और परिवार की इज्जत केवल लड़कियों से ही जोड़ी जाती हैं। लोग आमतौर पर लड़कों के साथ हुए यौंन उत्पीड़न के विषय में खुलकर बात करते हैं वहाँ के लोगों में आमतौर पर यह धारणा हैं कि लड़कें के साथ यौंन शोषण बाहर होता हैं, जैसे- बस स्टॉप, हॉस्टल, पार्टी इस वजह से वह ज्यादा पीड़ित हैं और लड़कियो के शोषण की संख्या कम हैं क्योंकि वें घर के अंदर सुरक्षित रहती हैं।

अभी भी कई रिपोर्ट के बाद यह पाया गया कि कई सारी चुनौतियाँ और रुकावटें है जो बाल यौंन उत्पीड़न की समस्या के विषय में विचार करनें और उसके समाधान के बारे में सोचनें पर बाधा उत्पन्न कर रही है। जिनमे से कुछ इस प्रकार हैं-

- कई सारे मामलें सार्वजनिक रूप से सामने ही नहीं आने पातें । मुख्य रूप से यह बात लड़कियो के साथ ज्यादा महसूस की जाती हैं।क्योंकि लड़की की कौमार्यता को घर में दबाने की कोशिश की जाती हैं।
- कई बच्चें तो डर के वजह से कभी अपने साथ होने वालें दुर्व्यवहार के बारे में नहीं बतातें।
- कई अध्यापक और स्वयं सेवी संस्थाओ के कार्यकर्ता उन तरीकों और योजनाओं से परिचित नहीं होते जिसके द्वारा वे यौन अपराध से पीड़ित बच्चों के व्यवहार को समझ सके और उनकी मदद कर सके।

1.12 बच्चों के विरूद्ध हिंसा

बाल शोषण आधुनिक समाज का एक घिनौना और भयभीत करने वाला सच बन चुका है वर्तमान समय में निर्दोष एवं लाचार बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की घटनाएं इतनी आम हो चुकी है कि अब तो लोग इस ओर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। सामान्यता लोग यहीं मानकर चलते है कि बाल शोषण का मतलब बच्चों के साथ शरीरिक या भावनात्मक र्दुव्यवहार है लेकिन सी.डी.सी. (कंसलटेंन्सी डेवलपमेन्ट सेन्टर) के अनुसार बच्चें के माता-पिता या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हर ऐसा काम बाल शोषण के दायरे में आता है, जिससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों का शोषण कई प्रकार से हमारें आस-पास के फैले समाज में देखने को मिलता है, जैसे बाल मजदूरी वे बच्चें जो कि किसी भी देश का आने वाला भविष्य होते है जिन बच्चों के हाथों में खिलौने कापी-किताब इत्यादि होना चाहिये वे सड़को व फुटपाथों पर मजदूरी करते है छोटी बच्चियाँ घरो के अंदर बरतन धोने व साफ सफाई का काम करने को मजबूर है। इसके साथ ही बच्चों की तस्करी का कारोबार भी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है जिसके अंतर्गत बच्चों को जानवरों से भी कम कीमत मे खरीदा बेचा जाता है जहाँ एक भैस की कीमत कम से कम

पंद्रह हजार रूपए होती है वहीं देश में बच्चों को पांच सौ से 25 सौ रूपयें में आसानी से बेचा जाता है।

बच्चों के द्वारा कराए जाने वाले अपराधों में सेक्स टूरिज्म या देह व्यपार में उन्हें लगाना सबसे प्रमुख है यह एक संगठित व्यापर है जिसमें बढ़े पैमाने पर बच्चों को धकेला जा रहा है इसके साथ ही बच्चों का अंग-भंग कर उनसे भीख मंगवाने का व्यवसाय भी चल रहा है। इसके साथ ही वे बच्चें जो कि सड़को पर रहते है या किसी प्रकार के अनाथालय या सुधारगृह के अंदर होते है। उनके समक्ष शोषण का खतरा सदैव एक आम व्यक्ति के समान मस्तिष्क में बना रहता है चूंकि इन सभी परिस्थितियों में बच्चे प्रायः अकेले होते है और न ही उनके हक के लिये लड़ने वाला कोई होता है इस बात का फायदा भी लोग अपने मतलब को पूरा करने हेतु प्रयोग में लाते है। इन सभी उत्पीड़नो के अतिरिक्त यौन उत्पीड़न भी एक बहुत ही जघन्य अपराध है जोकि बच्चों के साथ किया जाता है वह उनके आने वाले जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है साथ ही कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्षति भी पहुंचती है आश्चर्य की बात यह है कि इन सब घटनाओं को अंजाम देने वाले ज्यादातर दोषी पीड़ित बच्चें के पहचान के होते हैं , तथा जिस पर बच्चें विश्वास करते है। इसका एक दुष्प्रभाव यह होता है कि उनके साथ होने वाले र्दुव्यवहार के विषय में किसी को भी पता नहीं चल पाता। इस तरह से यह देखा जा सकता है कि हिंसा के मायने दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे है पहले जहाँ किसी के द्वारा अहित किये जाने या ताकत प्रदर्शित करने हेतु हिंसा की जाती ती थीं परन्तु, आज अपनी निजी कुंठाओ, व भावद्वेगों को कम शक्तिशाली के सम्मुख प्रदर्शित करने में भी लोग सुख की अनुभुति करते है इसके लिये आसानी से निशाना अबोध बच्चों को बनाया जा सकता है। इन घटनाओं को रोखने हेतु बच्चों व उनके नजदीकी लोगों के बीच बातचीत व अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने का माहौल होना चाहिए ताकि बच्चों के मन में किसी बात के लिए क्या विचार चलते है इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और उसके व्यवहार में

आये परिवर्तन के कारणों का सही रूप में निवारण करके इस तरह के अपराधों से उसकी सुरक्षा की जा सके।

1.13 यौन उत्पीड़न का शिकार होता बचपन –

यौन उत्पीड़न किसी भी बच्चे के साथ किया जाने वाले सबसे निंन्दनीय कार्य है जोकि किसी भी समाज के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक प्रश्न है कि कैसे वातावरण में आज के समय में अबोध बच्चों का विकास हो रहा है, अपितु यह कहें के हो भी रहा है के नहीं? इन सबके अतिरिक्त यह बात भी कहीं हद तक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि यौन शोषण का ज्यादा शिकार छोटी लड़कियां होती है। जब से एक लड़की जन्म लेती है उसके साथ यौनिक र्दुव्यवहार तब से ही किया जाने लगता है लड़की होने के कारण उसे हर स्थिति में लडके से कम ही समझा जाता है उसके परिवार के अंदर भी लोग उसे हर वक्त यह याद दिलाते रहते है कि वह एक लड़की है साथ ही उसे हमेशा अपने शरीर को लेकर डरना सिखाया जाता है कि उसके साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन प्रभावित हो जायेगा। कम उम्र में लड़कियों का यौन शोषण आज से नहीं बल्कि काफी समय पहले से किया जा रहा है पहले जहां उनका बाल विवाह कराया जाता था, वहीं देवदासी प्रथा भी व्याप्त थीं जिसके अंतर्गत कम आयु की कन्याओं को मंदिरो मे देवी-देवताओं की सेवा के लिये रखा जाता था। वहीं आज के समय में भले ही मानव संस्कृति ने आधुनिकता के दौर मे विकास कर लिया हो परन्तु यौन शोषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है चाहे वह घर हो या कोई बाहरी समाज, लड़कियां कही भी सुरक्षित नहीं है ।इसके पीछे कही हद तक यह धारणा भी कार्य करती है कि चूंकी लड़कियों को आसानी से डराया जा सकता है इसके अलावा भावनात्मक रूप से भी अपनी बातों में बहलाया जाना कहीं अधिक आसान होता है।

यहाँ तक कि यह मानसिकता लोगों के मन-मस्तिष्क में इतने गहरी तक असर डालती है कि रोज़मर्रा की जीवन शैली में जब लड़कियाँ बाहर निकलती है तो लोग उन्हें अपनी उपभोग की वस्तु समझने लगते है जैसे कोई जानवर अपने खाने की सामग्री को लेकर उसके प्रति सजग रहता है।

चाहे वह कोई गाँव का कस्बा हो या बड़ा शहर लड़कियों के साथ होने वाले शोषण की घटनाएँ कहीं भी कम नहीं हो रही है ।एक घटना के अंतर्गत लखनऊ शहर के गोंसाईगंज इलाके मे रहने वाली एक किसान की 13 वर्षीय किशोरी के साथ एक युवक ने दिनदहाड़े दुष्कर्म किया । वही एक अन्य घटना में एक मज़दूर की बेटी के साथ युवक ने उसे जबरदस्ती बंधक बना कर दुराचार किया। इन घटनाओं के द्वारा यह समझा जा सकता है कि जोर-जबरदस्ती व शक्ति के बल पर किस प्रकार लोग लड़की के शरीर को अपनी सम्पति के समान प्रयोग में लाते है। यही नहीं कई बार यह उत्पीड़न किसी को बिना स्पर्श किये भी किया जाता है जो कि उतना ही घृणित होता है जितना कि शारीरिक स्पर्श, जैसे कि ऑटो, बस, या ट्रेनो, मे सफ़र करने के दौरान भी स्त्रियों को बहुत सारी छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है इन सबसे छोटी लड़कियाँ भी बच नहीं सकी है। स्कूल इत्यादि से वापस लौटते समय यदि वे किसी यातायात के साधन का प्रयोग करती है तो भी कुंठित प्रवृत्ति के लोग उसमें भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करते रहते है इसके अंतर्गत अश्लील गाने बजाना, बस या आटो में बैठने पर बार-बार स्पर्श करने की कोशिश करना यह कुछ ऐसी घटनाएँ है जिनका सामना स्कूल या अन्य किसी स्थान पर जाते समय हर लड़की को करना पड़ता है । वहीं इन घटनाओं के विषय में अमूमन लड़कियाँ अपने घरों में नहीं बताती क्योंकि घर में बताने पर घर के सदस्यों के द्वारा उनके बाहर आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। इसके द्वारा यह बात भी चिंता का विषय है कि चाहे शोषण किसी भी रूप में हो या किसी के भी द्वारा किया गया हो उसका दंड सिर्फ़ लड़कियों को ही मिलता है क्योंकि दोषी तो उसी पितृसत्तात्मक समाज का

व्यक्ति होता है जिसको हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंदर कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में लड़कियाँ बचपन से ही अपने साथ होते अन्याय को सहना सीख जाती है और उसी परिस्थिति में अपने को ढाल लेती है।

1.14 विभिन्न फ़िल्मों /डॉक्यूमेन्टरी फिल्मो का विश्लेषण एवं समीक्षा

1. *Speak up : it's not your fault, Directed by Dipikalal

प्रस्तुत लघु फ़िल्म के माध्यम से निर्देशक दीपिका लाल ने उन लोगों की आपबीती को प्रस्तुत किया जो कि अपने बचपन में यौन शोषण का शिकार हुए थे तथा अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के विषय में किसी को बता नहीं सके या बताने का प्रयास किया तो उनकी बात किसी भी परिवार के सदस्य ने नहीं मानी। और इनमें से बहुत सारे लोग खुद में आत्मग्लानि की भावना से ग्रसित होकर अपने आस-पास के समाज को देखने लगे। इस फ़िल्म के माध्यम से हरीश नाम के व्यक्ति की कहानी को दिखाया गया है जिनके साथ 11 साल तक उनकी माँ के एक रिश्तेदार ने यौन शोषण किया। लगभग 6 साल की उम्र में पहली बार उनके साथ यह घटना घटी। जब उन्होंने अपनी माँ से यह बताने की कोशिश की तो उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया इसके पश्चात हरीश अपने आप में गहरी मानसिक तनाव की स्थिति से ग्रसित हो गए एवं अपने परिवार व आस-पास के सदस्यों से दूर रहने लगे। इतने लंबे समय तक शोषण का शिकार होने के बाद उनके शारिरीक, व मानसिक विकास पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। इस फ़िल्म के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो हमें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है बल्कि दोष तो उस व्यक्ति का है जो इस तरह के घृणित कार्य को अंजाम देता है।

2. Chuppi Todo, Sanjay Kumar Singh, supported by plan india.

इस लघु फिल्म कें माध्यम से माइम प्ले [नाटक] के द्वारा बच्चों को अच्छें और बुरें व्यवहार के माध्यम से सिखाने की कोशिश की गयी ताकि वह अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के गलत व्यवहार को समझ सकें यही नहीं सिर्फ़ बच्चें ही नहीं उनके माता-पिता को भी इस नाटक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया कि वह अपने बच्चों से खुलकर बात करें। बच्चें के साथ एक मित्रवत व्यवहार उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ताकि वें अपने साथ होने वाली किसी भी बात को बताने में संकोच न करे। आमतौर पर यह देखा जाता हैं कि माता-पिता द्वारा अपनें बच्चें के व्यवहार में आए बदलाव की ओर ध्यान नहीं दिया जाता जिसकें कारण कभी-कभी संकोच व डर के कारण भी वे अपनी बातें बताने में कतराते रहते हैं। इस लघु फ़िल्म के माध्यम से लोगों में यह जागरूकता लानें का प्रयास किया गया हैं।

3.*Shelter Home for Children, Produced and directed by- Robert Ong .*

इस लघु फ़िल्म के माध्यम से यह दिखाया गया हैं कि शेल्टर होम जिनके अंदर उन बच्चों को रखा जाता हैं जिनके माता-पिता नहीं होते या जिनकें साथ ऐसा कोई अपराध हुआ हैं जिसकें बाद उनका अपनें परिवार या अन्य स्थान पर रहना उचित नहीं हैं। इस तरह के शेल्टर होम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चों की उचित रूप से देखरेख की जा सकें। साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता हैं। पर क्या उसके अंदर बच्चें पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं मुख्य तौर पर लड़कियां, चूंकि यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपना कहने के नाम पर आमतौर पर कोई नहीं होता। ऐसे में अगर वहाँ उनके साथ किसी प्रकार का शारीरिक दुर्व्यवहार होता हैं या अन्य किसी प्रकार की हिंसा होती हैं तो ऐसी स्थिति में वे कहाँ जाएगें। किससे अपनी पीड़ा कहेंगें। क्योंकि मानसिक तौर पर

विक्षिप्त लोग हर जगह ही हैं पर कई बार इस तरह कि जगहों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता । हमें लगता हैं कि इन सब स्थानों पर बच्चें पूरी तरह सुरक्षित हैं पर इस दृष्टिकोण से भी हमे विचार करने की जरूरत हैं।

1.15 विभिन्न सरकारी / गैर सरकारी उध्ययनों की समीक्षा

- ***Study on – Child Abuse! India 2007 by Ministry of women and child Development, Government of India***

बाल शोषण जैसा अपराध हमारे समाज में बहुत समय से व्याप्त है पर कभी भी इस समस्या की ओर उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया जिस तरह से अन्य सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती थी। इस समस्या पर गहन विचार करने हेतु एवं इसके विविध परिप्रेक्ष्यों कों सामने लाने हेतु केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यूनीसेफ के सहयोग से वर्ष 2007 में बच्चों के साथ होने वाले शोषण के संबंध में अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अंतर्गत 5 विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के साथ होने वाले शोषण के संबंध मे जानकारी प्राप्त की गयी। इनमें परिवारीक माहौल के अंतर्गत रहने वाले बच्चे, स्कूल के अंतर्गत, निजी संस्थाओं में, मज़दूरी करने वाले बच्चों और सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले बच्चों के साथ होन वाले शारीरिक, मानसिक, यौनिक व भावनात्मक उत्पीड़न का विस्तार से अध्ययन किया गया । यह पहला मौका है जब भारत में पहली बार देश के अंतर्गत व्याप्त बाल हिंसा के विविध आयामों को विस्तारपूर्वक समझने हेतु अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

इस अध्ययन के परिणामों में जो बात सबसे ज्यादा सामने उभर कर आई, वह यह है कि 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चें बाल शोषण के सबसे ज्यादा शिकार होते है । अध्ययन के दौरान लगभग 53.22 प्रतिशत बच्चों ने किसी न किसी तरह से शारीरिक शोषण

किये जाने की बात स्वीकार तो वहीं 21.90 प्रतिशत बच्चों को भयंकर शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में चार में से एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है। हर 155 वें मिनट में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बाल हिंसा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी एकत्रित की गयी है जिसके माध्यम से हमारे देश के अतंगर्त इतने गंभीर रूप से उपस्थित बाल हिंसा की समस्या पर पुनर्विचार करने व उनके समाधान के लिए नये कानूनों व नीतियों का निर्माण करने हेतु कई सारे सुझाव प्रस्तुत किये गए। जिनके माध्यम से इस बढ़ते अपराध को रोका जा सके और एक स्वस्थ्य समाज की संरचना हो।

- ***Ministry of Law and justice (legislative Department) New Delhi, The Protection of children from sexual offences, Act 2012***

भारत के अंतर्गत शासन व्यवस्था व देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सारे कानूनों का प्रावधान किया गया है साथ ही अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान है। पर वहीं जब बात बच्चों के साथ किसी प्रकार के यौन शोषण की घटना की होती है तो दोषी को उन नियमों के अनुसार दंड दिया जाता है जो कि किसी वयस्क स्त्री के साथ यौन उत्पीड़न के संबंध में दी जाती है , पर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इस दोष के कारण कई सारे अपराधी दोष सिद्ध न हो पाने के कारण दंड से बच जाते रहे। परंतु साल 2007 के अध्ययन की रिपोर्ट के बाद सरकार का ध्यान बाल उत्पीड़न की समस्या की ओर आकृष्ट हुआ तथा न्यायिक व्यवस्था में सुधार व नये नियमों को सम्मिलित करने के पश्चात लैगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (The protection of children from sexual offences, act 2012) में अस्तित्व में आया। यह अधिनियम हर उस बच्चें को जो कि 18 वर्ष से कम उम्र का हो, उसे यौन उत्पीड़न, यौनाचार और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करता है। ये

अपराध स्पष्ट रूप से कानून में पहली बार परिभाषित किये गए। इस अधिनियम के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान है जो कि अपराध की गंभीरता के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के हित को सर्वोपरि रखा गया है।

इसी के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान भी रखा गया है। प्रस्तुत अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए परीक्षण हेतु बच्चें का साक्ष्य 30 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज करने का प्रावधान है। इसके अलावा, विशेष अदालत को एक वर्ष की अवधि के भीतर जहाँ तक संभव हो परीक्षण पूरा करने के लिए बाह्य किया गया है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह अधिनियम कहीं हद तक बाल हिंसा की समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया बहुत ही प्रभावशाली व महत्त्वपूर्ण अधिनियम है।

1.16 विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं की समीक्षा

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत जानकारी एकत्रित करने हेतु कई सारे समाचार पत्र/पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया। जिनमें की दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, i Next कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, जिनके माध्यम से रोज की दिनचर्या के अंतर्गत घटित होने वाली प्रत्येक घटना के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकी साथ ही बाल यौन शोषण से संबंधित कई सारी सूचनाये भी इनके माध्यम से प्राप्त हुई।

आंकड़ो एवं छायाचित्रों की सूची

1. चित्र संख्या –[1]
2. चित्र संख्या –[2]
3. चित्र संख्या-[3]

4. चित्र संख्या-[4]
5. चित्र संख्या-[5]
6. चित्र संख्या-[6]
7. चित्र संख्या-[7]

अध्याय पाँच

उपसंहार

बाल उत्पीड़न एक ऐसी गंभीर समस्या के रूप में समाज के बीच व्याप्त है जो कि आगे आने वाले समाज के लिए ऐसे अनेकों प्रश्न खड़े कर रही है। जिनका उत्तर प्राप्त करना वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए असंभव प्रतीत होता है।

आज के समय में भी आधुनिकता के साथ भले ही कितना भी विकास हो गया है, पर यौन हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दे को लोग एक आम समस्या की नजर से देखते है क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यौन सम्बंधो के विषय में बात करना या इच्छाओं को प्रकट करना सदैव से ही असभ्यता का परिचायक रहा है। इन सभी दबी-छिपी भावनाओं व कुंठा का परिणाम कई बार बहुत ही वीभत्स रूप में प्रस्तुत होता है। बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा भी किसी हद तक इसी का परिणाम कही जा सकती है।

इसी संबंध में बच्चों के साथ होने वाला यौनिक शोषण किसी भी समय में अपवाद की स्थिति में नहीं रहा। जितनी भयावह स्थिति किसी वयस्क के साथ होने वाले शोषण की है उससे कुछ हद आगे जाकर क्ररतम स्थिति बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक दुराचार की है।

बाल उत्पीड़न के अंतर्गत किसी भी 18 वर्ष की उम्र से कम के व्यक्ति के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित करने के प्रयास को समावेशित किया जाता है ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ होने वाला यौनिक शोषण आज के समाज में व्याप्त यौनिक कुंठाओ या जिज्ञासाओं का परिणाम है यह समस्या बहुत पुराने समय से ही हमारे समाज में व्याप्त थी परंतु फर्क बस इतना है कि पहले इन्हें समाज के अंदर ऐसे नाम की आड़ मे संबोधित किया जाता था, कि वह उस समय की सभ्यता व संस्कृति का हिस्सा थी। यौन उत्पीड़न के सामाजिक व

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखे तो बहुत पहले से ही हमारे समाज मे बाल विवाह की प्रथा चली आ रही है। जिसके अंतर्गत किसी कन्या का विवाह उसकी उम्र से बहुत बड़े व्यक्ति के साथ करा दिया जाता था, तभी से उसके साथ यौनिक शोषण किया जाने लगा परंतु कभी भी इसे किसी प्रकार की हिंसा के रूप में नहीं देखा गया क्योंकि सामाजिक संरचना के अंतर्गत इसे विवाह नामक सभ्य संरचना का नाम जो दे दिया गया था, उस समय लोगो का यह मानना था कि किसी भी कन्या का विवाह उसके रजस्वला की शुरूआत होने से पहले कर देना चाहिए। इसके पश्चात् कन्या शुद्ध नहीं रहती और कन्यादान का अर्थ ही यही होता है कि लड़की पूर्णत! शुद्ध हो इसके साथ ही एक और मानसिकता भी कार्य करती है जो कि पुरूषो के अपने पौरुष को प्रदर्शित करने की सोच से संबंधित थी वह यह कि किसी कुँवारी कन्या के साथ संभोग करना या शील भंग करना अपने आप में पुरुषत्व का परिचायक था इस कारण भी कम आयु में बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। बच्चों के प्रति होने वाले शोषण की कड़ी में देवदासी की प्रथा भी बहुत ही गंभीर रूप से प्रचलित थी। शोषण की स्थिति सदैव से वही रही है बस उनके नामों मे बदलाव समय के साथ होता गया। वर्तमान में यह शोषण घर, परिवार, समाज के अंतर्गत स्थापित हर संस्था के मध्य व्याप्त है, यही नहीं बाल वेश्यावृत्ति व तस्करी के द्वारा भी बहुत बड़े स्तर पर यह वीभत्स कर्मकांड चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के साथ होने वाले शोषण के पीछे के कारणो में परिवार, समाज व मनोवैज्ञानिक विचार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे है। भारत के अंतर्गत किये गए अध्ययन के अनुसार हर तीन में से एक बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार होता है। यह तथ्य अपने आप में शर्मिंदा करने वाला है कि हम आने वाले समाज को किस प्रकार का भविष्य प्रदान कर रहे है जहाँ पर समस्त मानवाधिकारो व नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है।

आज कई सारी ऐसी घटनाएँ है जो कि बच्चों के साथ उनके घर के अंदर घटित होती है जिसमें कि अपराधी परिवार का ही कोई सदस्य या रिश्तेदार होता है। चूँकि घर परिवार ही

ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते है वही जब इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो वे पूरी तरह से नि:सहाय हो जाते है उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि वह इन सब बातो के विषय में किससे कहे कई बार यदि वे कुछ कहने का प्रयास भी करते है तो माता-पिता द्वारा उन्हें चुप करा दिया जाता है या उनकी बातों को बदलते समाज के साथ बिगड़ने का नतीजा या मनगढ़ंत बता दिया जाता है। इसका एक दुष्प्रभाव यह होता है कि कोई भी बच्चा अपने साथ हुई घटना को बताने का साहस बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, उस पर भी यदि इस तरह की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो वह अपने आप में ही ग्लानि व कुंठा का शिकार होने लगते हैं , इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र से सम्बन्धि अन्य संस्थाओ जैसे- स्कूल, निजी संस्थाये, यहाँ तक कि यातायात का दिन-प्रतिदिन उपयोग करने वाले बच्चों को वहाँ भी शोषण का शिकार होना पड़ता है पर इन सब घटनाओं के बारे में कभी भी बच्चे पूरी तरह से खुलकर किसी से बात नहीं कर पाते कई बार तो अपनी बात कहने के लिये उन्हे शब्द ही नहीं समझ आते कि कैसे इन बातों को प्रकट किया जाए ,इसके अतिरिक्त भारतीय परिवारो के अंदर यौन संबध जैसे विषय पर स्पष्टत: बात न होने के कारण एक असहजता एवं संकोच की भावना भी कार्य करती है।एक अध्ययन के अनुसार यह बात सामने आई कि बाल उत्पीड़न की लगभग 85 फीसदी घटनाये घर के अंदर परिचित व्यक्तियों द्वारा की जाती है। इन आंकड़ो के माध्यम से ही इस हिंसा की जड़ों को समझा जा सकता है।

इस प्रकार के शोषण का शिकार होने वाले बच्चों के शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है जो कि उनके संपूर्ण जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता रहता है, चूंकि इन सभी घटनाओ के बारे में वे खुलकर किसी से कुछ कह नही पाते इस कारण तनाव, कुंठा, हताशा, भय की स्थिति से ग्रसित हो जाते हैं। इसके साथ ही कई सारे व्यावहारिक दोष भी उनके जीवन को प्रभावित करते है जिनके कारण वे अपने

निजी सम्बन्धों व आस-पास के लोगो को नजरअंदाज करने लगते है साथ ही उनकी नियमित दिनचर्या भी प्रभावित हो जाती है जैसे-पढ़ाई में ध्यान न दे पाना, स्वयं को चोट पहुचानें की कोशिश करना, इन सब घटनाओ का कई बार बाल मन पर इतना विपरीत प्रभाव पड़ता है कि वह खुद दूसरे बच्चों के साथ आक्रमक व्यवहार करने लगते है, पर उनके व्यवहार में हुये इन परिवर्तन के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास किसी के द्वारा नही किया जाता। इसका उदाहरण कई ऐसे लोगो के अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने इस विषय के सम्बन्ध में अपनी बात प्रकट की अपने साथ बचपन में हुई यौन उत्पीड़न की घटना के विषय मे बताते हुये तसलीमा नसरीन लिखती है कि अपने साथ होने वाली घटनाओ को वह समझ ही नहीं , पा रही थी साथ ही किसी से कुछ कहने में भी असमर्थ थी क्योकि उन्हें लगता था कि यह सब गलत बाते है जो कि किसी के सामने कहने से उनके परिवार व माता-पिता की इज्जत समाज मे खत्म हो जायेगी। इस कारण वे अकेली रहने लगी साथ ही किसी भी पुरुष से बात करने में भी उन्हे डर लगता था। इसी कड़ी मे फूलन देवी के साथ हुये यौन शोषण की घटना को भी देखा जा सकता है,कि कैसे एक आम सी लड़की अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरोध में प्रतिकार करती है और अपने दु:ख को गुस्से के रूप में परिवर्तित कर अपने साथ हुये शोषण के लिये दोषियो को दण्डित करने का निश्चय करती है। एक ही तरह की घटनाओं का प्रभाव कैसे विपरीत परिस्थितियो में अलग-अलग पड़ता है यह समझना भी आवश्यक हो जाता है।

क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत भी बच्चें के साथ होने वाले शोषण के संबंध में पृथक कानून नहीं रखे गये थे , इस कारण भी कई सारे मामलों में दोषी सजा पाए बिना ही छूट जाता था क्योंकि इन नियमो के अंतर्गत यौन हिंसा के संबंध में उन्ही कानूनो का प्रयोग किया जाता था जो कि किसी वयस्क स्त्री के साथ बलात्कार करने के संबंध मे दोषी के लिये प्रयोग में लाये जाते थे। इन कानूनो में यौन शोषण तभी माना जाता था जबकि लिंग के

योनि मे प्रवेशन की स्थिति साबित हो जाती थी। परंतु बच्चों के साथ किये जाने वाले यौनिक उत्पीड़न में कई बार ज़रूरी नही की लिंग और योनि के बीच संबध की स्थिति हो, कई बार बच्चे के गुप्तांगो मे किसी वस्तु या अन्य किसी शारीरिक अंग का प्रवेशन किया जाता पर इस तरह की स्थिति को यौन हिंसा की दृष्टि में नही रखा जाता था। इस कारण भी कई सारे अपराधियों को अपने किये गये कार्य को दुबारा करने में किसी प्रकार का भय नहीं रहता था बच्चों से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे के संबध में कानूनों मे सुधार करने की आवश्यकता को समझते हुए कई सारे सामाजिक व सरकारी स्तर पर किये गए प्रयासो के परिणामस्वरुप साल 2012 में बच्चों का लैंगिक हिंसा के विरूद्ध अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया। यह नियम 14, नवंबर 2012, से पूरे भारत में लागू है पहली बार न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यत: बच्चों के साथ होने वाली यौनिक हिंसा के संबंध में कानून बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चो के साथ किये जाने वाले हर उस व्यवहार को अपराध की श्रेणी मे रखा गया है जिसके कारण उसको किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचता है। इस कानून के अंतर्गत यह बाते भी शामिल की गयी की किसी बच्चें को जबरन अश्लील चित्र दिखाने या उसी अनुरूप क्रिया करने के लिए बाध्य करना भी यौन शोषण की श्रेणी में आएगा। साथ ही हर स्थिति मे किये गए शोषण के लिए अलग-अलग दंड तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के मामलों पर विचार करने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का भी विचार रखा गया है साथ ही पीड़ित बच्चे के बयान लेने तथा उसे उचित सहयोग प्रदान करने हेतु कई सारे नियमों का समावेश किया गया है।

इस अधिनियम की सबसे मुख्य बात यह रही इसके अंतर्गत विचाराधीन मामले में पुलिस को 30 दिनों के अंदर मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाने के लिए नियम बनाए गए है साथ ही किसी मामले पर फ़ैसला एक साल की समयावधि के भीतर सुनाया जाना आवश्यक

माना गाय है। इस अधिनियम के आने के बाद कही हद तक इस हिंसा से पीड़ित बच्चों को इंसाफ़ मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

यौन हिंसा जैसे विषय पर आम जनमानस के बीच कई तरह के विचार प्रचलित है जिनको जानने के पश्चात यह समझ में आता है कि किसी भी समस्या का हल हमें तभी मिलता है जब वह दूसरे की नजरों से भी एक समस्या के रूप में हो पर बच्चों के साथ होने वाले यौनिक शोषण के विषय में लोग बात ही नहीं करना चाहते या यूँ कहे कि इसे इतनी बड़ी समस्या के रूप में देखते ही नहीं इसके पीछे कई लोग यह तर्क देते है कि इसके बारे मे सार्वजनिक रूप से बात करके बच्चों के आगे आने वाले भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा, पर यहाँ यह भी सोचना होगा की किसी से न कहने की स्थिति मे क्या हम एक बच्चें के भविष्य को वह उड़ान दे पायेगें जो उसे न्याय और समान के साथ समाज मे रहने की स्वतंत्रता दिलाए। वहीं जब यह घटना लड़कियों के साथ घटित होती है तो,उनकी कौमार्यता का प्रश्न सबसे आगे चलता है कि कैसे आगे आने वाले समय मे उनका विवाह इत्यादि होगा और परिवार की मान, मर्यादा को लेकर भी खतरा रहता है इसके अलावा जल्दी न्याय न मिलने व दुबारा इस प्रकार की हिंसा का शिकार बनने के डर से लोग इन विषयों पर चर्चा नही करना चाहते। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपराध करने के बाद भी दोषी स्वतंत्र होता है और पीड़ित का संपूर्ण जीवन कारावास की भाँति व्यतीत होता है।

इन सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह समझा जा सकता है कि समाज में बढ़ते यौन शोषण की घटनाओं के पीछें कहीं न कहीं वह कुत्सित मानसिकता कार्य करती है, जिसके अनुसार आज भी यौन संबंध व यौनिकता एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना सामाजिक नैतिकता व मर्यादा का हनन माना जाता है शारीरिक बदलावो व इच्छाओं को हमेशा मान-मर्यादा के पर्दे मे छुपा कर रखना ही सभ्यता को प्रदर्शित करता है चाहे उस पर्दें

के ओट मे किसी मासूम का बचपन वासना का शिकार ही क्यों न हो जाये। इसके अतिरिक्त माता-पिता व बच्चें के बीच विचाराभिव्यकित की स्वतंत्रता न होना भी कई बार इस तरह की घटनाओं की जानकारी नहीं लगने देता। वही अन्य किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बच्चें किसी प्रकार के गलत व्यवहार का शिकार होते है तो भी किसी से कह नहीं पातें क्योंकि घर के किसी सदस्य द्वारा बच्चें पर विश्वास नहीं किया जात। वहीं लड़कियो के साथ यौनिक शोषण होने की स्थिति में सबसे पहले इज्ज़त सम्मान का सवाल उठ खड़ा होता है उनके स्वयं के अस्तित्व को कभी भी महत्त्व नहीं दिया जाता। वर्तमान समय में इस मानसिकता से उपर उठने की आवश्यकता है जब तक इन रूढ़ियो के बंधन से अपने को मुक्त नहीं किया जाएगा इस तरह के अपराध बढ़ते ही जाएँगे। बल्कि लोगों को यह सोचना चाहिए कि इस प्रकार की हिंसा के खिलाफ़ आवाज़ उठाए जाने की आवश्यकता है कई बार विरोध करने पर समाज के अंतर्गत कुछ विशेष वर्ग के लोग नीची दृष्टि से देखते है पर हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिये कि समाज में कुछ जागरूक लोग भी है जो कि इस तरह के कदम बढ़ाने पर हमारा साथ देंगे और इन्हीं थोड़े-थोड़े लोगो से ही एक नये समाज की संरचना होगी।

समाज के साथ-साथ हमारी कानूनी व्यवस्था भी इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने में अपनी सहभागिता निभाती है। क्योंकि कितने ही मामले ऐसे है जो कि बीसों सालों से न्यायालय में न्याय की आशा मे विचाराधीन है इस कारण भी अपराधी अपराध करने के पश्चात आराम से रहता है कि सजा तो उसे इस कमज़ोर प्रशासन के चलते मिलने से रही। एक उदाहरण के अंतर्गत हम देख सकते है कि लखनऊ शहर के अंदर घटित आशियाना बलात्कार की घटना जो कि साल 2005, में एक 13 साल की लड़की के साथ 6, लड़को द्वारा किए गए बलात्कार की घटना है इसे मामले के अंतर्गत सभी तथ्य स्पष्ट होने के बाद भी न्यायालय द्वारा फ़ैसला टलता जा रहा है, न्यायिक व्यवस्था का दोहरा चेहरा इस रूप में भी देखने को मिलता है कि इस मामले में नौ सालों का लंबा इंतज़ार पर पीड़िता को दूर-दूर तक

न्याय मिलने की उम्मीद नहीं नजर आती वही जब दिल्ली मे 16 दिसंबर की घटना घटित होती है तो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए विशेष न्यायालय गठित कर केवल नौ महिने में दोषियो फाँसी की सजा सुनाई जाती है। क्या इसका एक कारण यह है कि इस मामले में पीड़िता अब जीवित नहीं है। जबकि आशियाना कांड की पीड़िता अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, क्या यह मामला दिल्ली मे हुई घटना जितना वीभत्स नहीं है, पर कहीं न कहीं आज भी जब किसी लड़की के साथ बलात्कार की घटना हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग उसे गंभीर मामला कहते हुए उसके लिए न्याय की मांग करते है। पर वहीं यदि कोई पीड़िता इस घटना के बाद जीवित बच जाती है और अपने लिए इंसाफ़ की लड़ाई लड़ती है तो समाज उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। तो क्या इस तरह की घटनाओं के विरूद्ध जल्दी इंसाफ़ पाने के लिए पीड़ित का मरना आवश्यक है यह कुछ प्रश्न है जो कि न्याय व्यवस्था के सामने खड़े होते है।

जब साल 2012, में बच्चों की यौन हिंसा से सुरक्षा के संबंध मे अधिनियम पारित किया गया तो इसमें हर उस पहलू को शामिल किया गया जो कि हिंसा के रूप मे प्रदर्शित होती है परंतु कुछ बाते इसके अंदर छूट गयी जैसे कि इस अधिनियम मे उस अपराधी के लिए सजा का कोई खास प्रावधान नहीं रखा गया जब वह नाबालिक होते हुए किसी बच्चें की सहमति से उसके साथ यौन शोषण करता है, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार किसी के साथ यौन शोषण करता है तो उसके लिए भी अलग से सख़्त सजा होनी चाहिए साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत यह बात स्पष्ट रूप से नहीं सामने आ पाई, कि चूँकि इसके अंदर किसी भी मामले के संबंध में एक वर्ष के भीतर फ़ैसला सुनाने का प्रावधान रखा गया है तो क्या यह नियम 2012, में लागू होने के बाद घटित घटनाओं के संबध मे लागू होगा तो जो मामलें पहले से न्यायालय में विचाराधीन है उनके संबध में न्याय किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। अगर पहले के मुकदमें उसी न्यायिक प्रक्रिया के

अनुरूप देखे गये तो फिर कहीं न कहीं इस अधिनियम की महत्ता अपने लक्ष्य को पूरा करने में कमतर प्रतीत होती है।

इस नियम के अंतर्गत कही हद तक यह प्रावधान भी किया जाना चाहिए कि बाल हिंसा से संबधित जितनें भी केस विचाराधीन है सबके सम्बंध मे अधिनियम 2012, के प्रावधानो के आधार पर विचार किया जाये जिससे ऐसे कई सारे पीड़ितों को न्याय मिल सके जो कि न जानें कितने वर्षों से न्याय की आस में है।

अंत में अभी भी ऐसे कई सारे प्रश्न है जो बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से संबंधित विविध आयामों को एक नये दृष्टिकोण से समझने हेतु ध्यान इंगित करते है, जितनी सीमा तक शोधार्थी द्वारा इस समस्या को समझने का प्रयास किया गया है, समस्या उससे और भी अधिक गंभीर है तथा आने वाले समय के लिए चिंताजनक चुनौती भी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

हिन्दी पुस्तकें

- जैन अरविनन्द, *बचपन से बलात्कार*, शिल्पयन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004
- नसरीन तसलीमा, *मेरे बचपन के दिन* , वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
- जैन अरविन्द, *औरत होने की सजा*, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011
- कुमार राधा, *स्त्री संघर्ष का इतिहास*, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001
- ब्राउन लुइज, *यौन दासियां; एशिया का सेक्स बाजार*, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
- कांबले उत्तम, *देवदासी*, संवाद प्रकाशन, मुम्बई, मेरठ, 2008
- राजकिशोर, *स्त्री के लिए जगह*, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
- चतुर्वेदी मुरलीधर, *भारती दण्ड संहिता*, 1860, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ, 2011
- वर्मा रंजीत , *बलात्कार और कानून*, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007
- डॉ. पाण्डेय जय नारायण, *भरत का संविधान*, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2013
- जैन कमलेश, *बलात्कार होने पर पीड़िता के लिए कानून एवं मार्गदर्शन*,राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008

अंग्रेजी पुस्तकें

- **Darrow Clarence , CRIME: it's cause and treatment, logos press, new delhi, 1990**

- **VIRANI PINKI, bitter chocolate : child sexual abuse in india, by penguin books india, new delhi, 2013**
- **Patel J.D, violence against children, aavishkar publishers, distributors, jaipur, 2004**
-
- **Giri P.K., crime against women, sublime publications, jaipur, 2009**
- **Kaul reema, women and crime, omega publication, new delhi, 2006**
- **Prof. vashistha sarita, crime against children, K.K.publication, new delhi, 2012**
- **Baruah arunima, child abuse, rejerence press, new delhi, 2013**
- **Cobey cathy, child abuse and the low, covendish publishing, limited, London, 1995**
- **Sharma O.C., crime against women , ashish publishing house, new delhi , 1994**
- **Davies Miranda, women and violence, 2ed books, Londo, and new jersey 1994**

इंटरनेट-

http://en.wikipedia.org/wiki/Child_abuse

http://wcd.nic.in/childabuse.pdf

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0113ForUpload.pdf

http://www.childlineindia.org.in/child-abuse-child-violence-india.htmv

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Over-53-children-face-sexual-abuse-Survey/articleshow/1881344.cms

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152788614045534&id=10150157673110534

https://www.childwelfare.gov/can/defining/federal.cfm

http://www.stopitnow.org/adsearch/child_sexual_abuse_statistics

http://www.info.com/impact%20of%20child%20abuse?cb=15&cmp=4109

http://www.speakupbesafe.org/parents/impact-of-abuse-neglect.pdf

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090521112831.htm

http://www.buzzle.com/articles/the-psychological-effects-of-child-abuse.html

http://www.allaboutlifechallenges.org/impact-of-sexual-abuse-in-children-faq.htm

http://www.nspcc.org.uk/Inform/research/briefings/impact_of_abuse_on_health_pdf_wdf73369.pdf

http://www.childhelp.org/pages/immediate-effects-of-child-abuse

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1375177/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8242531

http://ncrb.nic.in/CD-CII2012/Home.asp

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Crime_Records_Bureau

http://en.wikipedia.org/wiki/Female_child_molesters

http://www.apa.org/pi/families/resources/child-sexual-abuse.aspx

http://forwomen.org/content/9/en/child-sexual-abuse

http://hi.wikipedia.org/s/6nvc

http://wcd.nic.in/childact/protection_of_children2012.pdf

http://www.punjabkesari.in/news/article-229717

http://www.janjwar.com/2011-05-27-09-06-02/1-society?start=35

http://www.bharatswasthya.net/rape